

[24/3/2022]

प्रश्नमध्य प्रदेश 44291
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, द्वितीय विंग भोपाल)

भोपाल, दिनांक 03 / 01 / 2022

// आदेश //

क्रमांक 46 / विजां./ 22 / वि-2 / 22, श्री शोभित त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सिरोंज जिला विदिशा को विवाह सहायता योजना अंतर्गत षड्यंत्रपूर्वक व्यापक रूप से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये जाने से म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत हरदा नियत किया जाता है। श्री शोभित त्रिपाठी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उमाकांत उमराव)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 47 / विजां./ 22 / वि-2 / 22

भोपाल, दिनांक 03 / 01 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. आयुक्त, संभाग भोपाल/नर्मदापुरम संभाग होंशगाबाद म.प्र.।
4. कलेक्टर, जिला विदिशा/हरदा म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा/हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संबंधित श्री त्रिपाठी को आदेश तामील कराया जाकर पावती उपलब्ध करावें।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सिरोंज जिला विदिशा संबंधित श्री शोभित त्रिपाठी की ओर पालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।
- 8.

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग